

राजस्थान सरकार  
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक: प0 5(4)आरपीजी/एस/2020

जयपुर, दिनांक 09.03.2022

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.03.2021 के द्वारा आमजन की परिवेदना/समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान हेतु ग्राम पंचायत समूह/क्लस्टर्स स्तरीय उपखण्ड स्तरीय/जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे ।

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.04.2021 के द्वारा आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई एवं समाधान की दृष्टि से जिला स्तर पर जनसुनवाई कार्यक्रम को कोविड-19 सक्रमण की परिस्थितियों के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये गये थे एवं पत्र दिनांक 06.09.2021 के द्वारा गृह(ग्रुप-7) विभाग के आदेश 27.08.2021 के क्रम में सोशियल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजेशन इत्यादि की पालना करते हुए पर्याप्त हवादार हॉल/खुले स्थान पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे ।

गृह विभाग के आदेश क्रमांक प0 7(1)गृह-7/2021 दिनांक 13.02.2022 द्वारा समस्त दिशा-निर्देश/आदेश/संशोधित आदेशों का अतिक्रमण कर लगाये गये समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया है । अतः तदनुसार समस्त जिला कलक्टर जनसुनवाई शिविरों को आयोजित किये जाने की समय सारणी दिनांक 10 मार्च, 2022 तक इस विभाग के ईमेल [DS.RPG@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:DS.RPG@RAJASTHAN.GOV.IN) पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ।

आज्ञा से,

(अश्विनी भगत)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन अभियोग निराकरण विभाग
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान
5. अध्यक्ष, जन अभियोग निराकरण समिति, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
7. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर
8. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. ✓ समस्त सभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान (प्र.सं. क्र. दि.सं. ५६)
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/राजकीय उपक्रम/निगम/मण्डल ।
12. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करावें ।
13. प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प, जयपुर को को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
14. रक्षित पत्रावली ।

21  
09/03/22  
शासन उप सचिव